क्रमांक ..14....

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग – दो

मंगलवार, दिनांक 08 मार्च, 2022 (फाल्गुन 17, 1943)

शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2022 हेतु निर्धारित अशासकीय संकल्पों की सूचना

1	(क्रमांक – 02)	सदन का यह मत है कि "प्रदेश की विधवा व परित्यक्ता महिलाएं जिनको केन्द्र/राज्य की योजनांतर्गत पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है, उन्हें विधवा व परित्यक्ता पेंशन प्रदान करने पर राज्य विचार करे।" (प्रस्तुतकर्ता सदस्य : **श्री धरमलाल कौशिक**)
2	(क्रमांक – 05)	सदन का यह मत है कि "प्रदेश में सभी स्तर की ग्रामीण सड़कों को 50 (पचास) टन भार क्षमता वहन करने योग्य बनायी जाये।" (प्रस्तुतकर्ता सदस्य : **श्री अजय चन्द्राकर**)
3	(क्रमांक – 01)	सदन का यह मत है कि "दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से जिला बलौदाबाजार भाटापारा से पृथक कर भाटापारा को स्वतंत्र जिला घोषित किया जावे।" (प्रस्तुतकर्ता सदस्य : **श्री शिवरतन शर्मा**)
4.	(क्रमांक–09, 10)	सदन का यह मत है कि "विगत दो वर्षो में कोरोनाकाल के कारण भर्ती परीक्षाओं में वंचित हो जाने के कारण बेरोजगारों की अधिकतम आयुसीमा में दो वर्षो की छूट दी जाये।" (प्रस्तुतकर्ता सदस्य : **श्री गुलाब कमरो,** **श्री अजय चन्द्राकर**)

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव